

लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से छूटे हुए/ वंचित पात्र लाभार्थियों के सर्वेक्षण कार्य की प्रगति।

जनपद— जौनपुर

दिनांक—11.09.2018

| सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने का प्रतिशत | क्र० सं० | कार्यक्रम | सर्वेक्षण में चिन्हित एवं छूटे हुए पात्र वंचित लाभार्थियों की कुल संख्या | सर्वेक्षण में चिन्हित वंचित पात्र एवं छूटे/ वंचित लाभार्थियों जिनके डाटा फीडिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। | फीडिंग का प्रतिशत | अभ्युक्ति |
|---------------------------------------|----------|-------------------------|--|---|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1 | अन्त्योदय राशनकार्ड | 50 | 50 | 100 | कालम 05 में दर्ज 50 लाभार्थियों को मृतक के स्थान पर अथवा गांव छोड़कर अन्यत्र चले जाने के कारण नये चयनित |
| | 2 | पात्र गृहस्थी राशनकार्ड | 39175 | 39175 | 100 | — |

नोट— कतिपय ऐसे भी व्यक्ति हैं, जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, किन्तु अपना अलग से राशनकार्ड बनवाने हेतु आवेदन किये हैं, जबकि पूर्व से उनके परिवार में प्रचलित कार्ड में उनका नाम अंकित है। विकास खण्ड द्वारा उपरोक्त 39175 लाभार्थियों में 9287 ऐसे भी फार्म प्राप्त हुए हैं जिनके कार्ड पूर्व से प्रचलित हैं और यूनिट बढ़ाने हेतु फार्म प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार ऐसे भी फार्म प्राप्त हैं, जिनमें कोई वांछित अभिलेख संलग्न नहीं है।

2. 1507 चयनित अन्त्योदय पात्र लाभार्थियों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उनका पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पूर्व से बना है, परन्तु वह अन्त्योदय के पात्र है। शासन द्वारा लक्ष्य न बढ़ाये जाने के कारण उनके आवेदनों पर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

4k
जिला पूर्ति अधिकारी,
जौनपुर।